पत्रांक : 04/NULM-73/16.................... // न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग |

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम |
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत |

पटना,दिनांक

विषय : दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के EST&P घटक के अंतर्गत Government Training Providers (GTPs) द्वारा आवासीय कौशल प्रशिक्षण के क्रियान्वयन के सम्बंध में |

प्रसंग:- विभागीय पत्र संख्या-1072 दिनांक-28.04.2017, 1464 दिनांक-22.06.2017 एवं बिहार कौशल विकास मिशन पत्र संख्या-275 दिनांक-26.04.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि प्रासंगिक वर्णित पत्रों के द्वारा BSDM द्वारा प्राप्त SDCs के साथ एकरारनामा कर प्रशिक्षण प्रारम्भ करने का निदेश दिए गये हैं | इसी क्रम में BSDM से Government Training Providers (GTPs) संस्थाओं की सूची प्राप्त हुई है |
उल्लेखनीय है कि GTPs में दो तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था है यथा आवासीय एवं गैर-आवासीय |

सम्यक विचारोपरांत वैसे GTP जहां आवासीय कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था है कौशल प्रशिक्षण हेतु निम्न निर्णय लिये गये हैं :

(1) वैसे GTP जहां आवासीय कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था है वह GTP जिस नगर निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत है उस नगर निकाय के साथ सम्बंधित GTP एकरारनामा कर कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे |
(2) यदि एक नगर निकाय निर्धारित एक बैच हेतु लाभुकों को mobilize करने में सक्षम हो तो वैसी स्थिति में वह नगर निकाय सम्बंधित GTP के साथ एकरारनामा कर कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे |
(3) इसके अलावा यदि एक नगर निकाय निर्धारित एक बैच हेतु लाभुकों को mobilize करने में सक्षम नहीं हो तो वैसी स्थिति में दो नगर निकाय मिलकर निर्धारित एक बैच हेतु लाभुकों को mobilize करने हेतु विभाग को प्रस्ताव भेजा जाय ताकि विभाग के स्तर से निदेशित किया जा सके एवं सम्बंधित दोनों नगर निकाय GTP के साथ एकरारनामा कर कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे |
(4) एकरारनामा के पश्चात् नगर निकाय सम्बंधित GTP के साथ समन्वय कर BSDM के portal पर लाभुकों का पंजीकरण सुनिश्चित करेंगें |

BSDM से प्राप्त वैसे GTP संस्थाए जहां आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था है, कि सूची संलग्न करते हुए सभी नगर निकायों को निम्न निदेश दिया जाता है:

(i) अपने-अपने नगर निकाय क्षेत्र से संलग्न विहित प्रपत्र 'क' एवं 'ख' में प्रस्ताव विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

(ii) SMMU कर्मी प्राप्त प्रस्ताव का समीक्षा करके सम्बंधित नगर निकाय एवं GTP संस्थाओं से समन्वय कराके विभिन्न कोर्स में batch का formation कराकर प्रशिक्षण प्रारंभ करायेंगे।

SMMU कर्मी उपर्युक्त वर्णित कंडिका (3) के आलोक में जहां एक नगर निकाय अकेले batch formation में सक्षम नहीं है, वहां दो नगर निकायों के प्रशिक्षणार्थियों को मिलाकर बैच formation करायेंगे तथा विभाग से आदेश प्राप्त कर GTP से समन्वय करके प्रशिक्षण प्रारंभ करायेंगे।

(iii) GTP को सम्बंधित नगर निकाय के साथ एकरारनामा करना होगा तथा उसका भुगतान भी उसी नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

(iv) नगर निकाय द्वारा संलग्न विहित प्रपत्र 'क' एवं 'ख' में प्रस्ताव भेजने कि प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। जैसे-जैसे नगर निकायों से प्रस्ताव प्राप्त होते रहेंगें, SMMU कर्मी कंडिका (ii) के अनुरूप कारवाई करते रहेंगें।

अनुलग्नक: यथोक्त

विश्वासभाजन

ह0/-

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:-04/NULM-73/16 पटना/दिनांक

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:-04/NULM-73/16 पटना/दिनांक

प्रतिलिपि:-सम्बंधित सभी GTP प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:-04/NULM-73/16 2130 पटना/दिनांक 15/9/17

प्रतिलिपि:-PMC-NULM को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/9/2017

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग